न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या /2021

वादी :–

1) बली खां पुत्र आरब खां

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1) गफूर खां पुत्र आरब खां
2) शेर खां पुत्र आरब खां
3) मीमो पत्नी आरब खां
4) तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरुस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री बली खां पुत्र आरब खां स्वंय वादी।
2..श्री गफूर खां पुत्र आरब खां प्रतिवादीगण
3. तहसीलदार पचपदरा

निर्णय

दिनांक :– 29.10.21

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 332/106 रकबा 20-00 बीघा, सरहद मौजा गोलड़ी तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम मल्ले खां होने से राजस्व रेकर्ड में मल्ले खां पुत्र आरब खां दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड में वादी का नाम बली खां पुत्र आरब खां दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज मल्ले खां के स्थान पर बली खां पुत्र आरब खां सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:50:18 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम ....मल्ले खां........ के स्थान पर ....बली खां पुत्र आरब खां........ दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच ....नायब तहसीलदार पचपदरा........, तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं ....332/106........ रकबा ....20-00........ बीघा, सरहद मौजा ....गोपड़ी........ तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम ....मल्ले खां........ दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत ~~रामसीन~~ गोपड़ी एवं तहसीलदार ....पचपदरा........ की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम ....मल्ले खां........ दर्ज किया गया है वादी का सही नाम ....बली खां पुत्र आरब खां........ है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं ....332/106........ रकबा ....20-00........ बीघा, सरहद मौजा ....गोपड़ी........

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ....मल्ले खां........ पुत्र ....आरब खां........ के स्थान पर ....बली खां........ पुत्र ....आरब खां........ खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिष्चित करें।

निर्णय आज दिनांक ....28/10/2021........ **को कोर्ट केम्प कोर्ट**........गोपड़ी........ **में मजमे आम में सुनाया गया।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:50:18 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

डिकरी व मुकदमे इकतरफ़ा

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

(राजस्व न्यायालय ... प्रारूप संख्या ...)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

केम्प कोर्ट ......ओमदी......

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

2022 / 239

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1/ वली खां पुत्र अरब खां तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1/ शक्कुर खां पुत्र अरब खां 2/ शेर खां पुत्र अरब खां 3/ मैरी पत्नी अरब खां 4/ राजस्थान सरकार जरिये मु. मालक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा ... राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– 130 / 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल ... जरिये ... श्री वली खां ... वादी स्वंय मिनजानिब श्री नरेन्द्र ... प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी ... कि वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की ... मौका रिपोर्ट के आधार पर खसरा नं 332/106 रकबा 20.... बीघा, सरहद मौजा ओमदी ...

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम .... पुत्र अरब खां ... के स्थान पर वली खां पुत्र अरब खां खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/10/2021 को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

मुद्दई	मालियत	रु.	मुद्दायलाह	मालियत	रु.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प अर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प जवाबी		
स्टाम्प दस्तावेज मुहर			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
दफ्तर इजराय			दफ्तर इजराय		
इश्तहारात			इश्तहारात		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीज़ान			मीज़ान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:50:18 IST
Reason: SelfAttested